कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वाररोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone: **0135 2665366**

विज्ञप्ति संख्याः 117 / 2022 दिनांक 16 नवम्बर, 2022

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदो हेतु अभिलेख सत्यापन सम्बन्धी आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0(स्वा0कार्य0) / 12 / 2021–22 / 130, दिनांक 15 मार्च, 2022 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार वर्षवार मैरिट के आधार पर श्रेणी–उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से लगभग दो गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 30 नवम्बर, 2022 (बुधवार) से दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 (मंगलवार) तक कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आमन्त्रित किया जाता है।

अभ्यर्थियों हेतु अभिलेख सत्यापन सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश एवं अनुक्रमांकवार अभिलेख सत्यापन समय–सारणी बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट **www.ukmssb.org** पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है वे दिनांक 17 नवम्बर, 2022 से प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपने पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर डाउनलोड कर सकते है।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र औपबन्धिक है तथा मात्र अभिलेख सत्यापन हेतु मान्य है। इसके आधार पर अभ्यर्थी चयन हेतु कोई भी दावा नही कर सकते है। अतः अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दी गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं एवं अन्य अनिवार्य अर्हतायें, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि (दिनांक 13 अप्रैल 2022) तक पूर्ण करते हो। अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार / मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियों से भिन्न कोई भी दावा मान्य नहीं होगा तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक / वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने तथा आवेदन पत्र से डाटा का सही मिलान न होने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। **किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार बोर्ड को होगा।**

नोटः– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा– 2022 में सम्मिलित किये गये सभी ऑफलाईन आवेदनकर्ताओं को प्रवेश पत्र उनके द्वारा ऑफलाईन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई मेल पर प्रेषित किया जायेगा।

ह0 / –
(गरिमा रौंकली)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।